[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 18/2019 केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 10 अप्रैल, 2019

सा .का .नि - (अ)............... .आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है (की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधा-रा) 6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित रेजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा मार्च, 2019 कें माह के लिए, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 66 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधा-रा) 3) के अधीन केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररुप जीएसटी-7 मे, विवरणी की समयसी-मा का विस्तार अप्रैल, 2019 के 12वें दिन तक किया जाता है।

[फा. सं. 20/06/16/2018 - जीएसटी (भाग II)]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार